



सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-1, खण्ड (क)
(उत्तरांचल अधिनियम)

देहरादून, बृहस्पतिवार, 15 जनवरी, 2004 ई0
पौष 25, 1925 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 501/विधायी एवं संसदीय कार्य/2003
देहरादून, 15 जनवरी, 2004

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तरांचल विधान सभा द्वारा पारित उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश जमींदारी एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण, आदेश, 2001) (संशोधन) विधेयक, 2003 पर दिनांक 13-01-04 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तरांचल अधिनियम संख्या 29, सन् 2003 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950)
(अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) अधिनियम, 2003,
(जैसा कि सदन की प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदन तथा विधान सभा द्वारा
यथा संशोधित पारित किया गया है)

(उत्तरांचल अधिनियम संख्या 29, वर्ष 2003)

अधिनियम

उत्तरांचल राज्य के परिप्रेक्ष्य में उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001 में संशोधन के उद्देश्य से भारत गणराज्य के चौवनवें वर्ष में निम्नलिखित रूप में अधिनियमित-

- संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ
1. (1) उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) अधिनियम, 2003 कहलायेगा।
- (2) नगर निगम, नगर पंचायत, नगर परिषद् और छावनी परिषद् क्षेत्रों की सीमा के अन्तर्गत आने वाले और समय-समय पर सम्मिलित किये जा सकने वाले क्षेत्रों को छोड़कर यह सम्पूर्ण उत्तरांचल राज्य में लागू होगा।
- (3) यह तत्काल प्रभावी होगा।
- मूल अधिनियम में धारा 129-ख का जोड़ा जाना
2. उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 129-क के बाद एक नयी धारा 129 ख निम्नवत् जोड़ दी जायेगी—
- 129-ख—उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 154(4)(1)(क), 154(4)(2)(ड), 154(4)(2)(च), तथा 154(4)(3) के प्रयोजनों के लिये निम्नवत् श्रेणी के भूमिधर कहलायेंगे—
- (1) विशेष श्रेणी के भूमिधर।
- मूल अधिनियम में धारा 152-क का जोड़ा जाना
3. मूल अधिनियम की धारा 152 के बाद एक नयी धारा 152-क निम्नवत् जोड़ दी जायेगी—
- (1) 152-क—संक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर द्वारा भूमि अंतरण हेतु कोई मुख्तारनामा ऐसे व्यक्तियों के पक्ष में किया जा सकेगा जो धारा 171, 172, 174 अथवा 175 के अन्तर्गत आते हैं और ऐसा मुख्तारनामा ऐसे व्यक्ति के विद्यमान न होने की दशा में किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में जिले के कलेक्टर की पूर्वानुमति से अथवा विदेश में रहने वाले व्यक्ति के मामले में भारतीय दूतावास की पूर्वानुमति से किया जा सकेगा।
- (2) जब तक बढ़ायी गयी समय सीमा जिले के कलेक्टर द्वारा सकारण अभिलिखित नहीं कर दी जाती है, दिनांक 12-09-2003 को अथवा उससे पहले निष्पादित भूमि के विक्रय हेतु पंजीकृत मुख्तारनामा वैध होगा यदि ऐसे मुख्तारनामा के आधार पर 31-03-2004 या उससे पहले मुख्तारनामा में उपबन्धित किसी समय सीमा पर विचार किये बिना, विक्रय विलेख निष्पादित कर लिया गया हो।
- मूल अधिनियम की धारा 154 में उपधारा (3), (4) और (5) का जोड़ा जाना
4. (3) (संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर) उत्तरांचल राज्य के धारा 129 में उल्लिखित किसी भी श्रेणी के खातेदार अथवा उत्तरांचल में स्थित किसी अचल सम्पत्ति के स्वामी जिसने 12-09-2003 या उससे पूर्व ऐसी सम्पत्ति अर्जित कर ली हो अथवा ऐसे खातेदार या सम्पत्ति के स्वामी के परिवार का कोई सदस्य जिसका आशय पति, पत्नी तथा उनकी संतान, सातेली तथा दत्तक संतान सहित, माता-पिता, दादा-दादी, भाई और अविवाहित, विधवा, पृथक्ता तथा तलाकशुदा बहन से है, के पक्ष में अपनी भूमि विक्रय कर सकेगा।
- (4)(1) (क) इस अधिनियम में अंतर्दिष्ट अन्य प्रतिबन्धों के अधीन रहते हुए कोई भी व्यक्ति अपने परिवार की ओर से (परिवार का तात्पर्य पति, पत्नी और नाबालिग संतान से है) मले ही वह धारा 129 के अधीन खातेदार या उत्तरांचल में किसी अचल सम्पत्ति का स्वामी न हो बिना किसी अनुमति के अपने जीवन काल में अधिकतम 500 वर्ग मीटर भूमि क्रय कर सकता है;
- (ख) जब तक कि बढ़ायी गयी समय सीमा जिले के कलेक्टर द्वारा सकारण अभिलिखित नहीं कर दी जाती है, भूमि के विक्रय हेतु 12-09-2003 को या उससे पहले निष्पादित पंजीकृत विक्रय के करार के विलेख पर, ऐसे विलेख में उपबन्धित किसी समय सीमा पर विचार किये बिना दिनांक 31-03-2004 तक निष्पादित विक्रय विलेख वैध होगा।

- 4)(2) धारा 154(3) की किसी बात से यह नहीं समझा जायेगा कि किसी व्यक्ति द्वारा निम्नलिखित के पक्ष में भूमि का अंतरण निषिद्ध है—
- (क) राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार अथवा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 में परिभाषित सरकारी कम्पनी अथवा सांविधिक संस्था अथवा निगम अथवा बोर्ड जो किसी संविधि द्वारा या उसके अधीन स्थापित किया गया हो और राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार के स्वामित्व का हो एवं उसके द्वारा नियंत्रित हो;
- (ख) कोई भी व्यक्ति जो निम्नलिखित कारणों से खातेदार न रह गया हो—
- (1) यदि उसकी भूमि लोक प्रयोजनार्थ भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के अधीन अधिग्रहीत की गयी हो; अथवा
- (2) यदि उसकी भूमि इस अधिनियम के अधीन किसी खातेदार में निहित हो गयी हो;
- (ग) कोई भी व्यक्ति जो खातेदार न हो, राज्य आवास विकास परिषद् अथवा किसी विकास प्राधिकरण अथवा राज्य अथवा केन्द्र सरकार द्वारा पारित अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित किसी अन्य सांविधिक निगम से मकान या दुकान बनाने के लिए भूमि खरीदता है या खरीदना चाहता है अथवा बना-बनाया मकान या दुकान खरीदता है;
- (घ) कोई व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति से भूमि खरीदना चाहता है जिसके पक्ष में सक्षम प्राधिकारी द्वारा नक्शा (ले आउट प्लान) अनुमोदित कर दिया गया है;
- (ङ) कोई व्यक्ति अथवा कम्पनी उत्तरांचल की औद्योगिक नीति के अनुसार (1) एकीकृत औद्योगिक विकास केन्द्र, (2) औद्योगिक क्षेत्र, (3) औद्योगिक आस्थान में भूमि खरीद सकता है;
- (च) धार्मिक प्रयोजनों के लिए कोई व्यक्ति, सोसाइटी अथवा न्यास;
- (छ) उत्तरांचल का भूमिहीन मजदूर; अथवा
- (ज) उत्तरांचल का अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति का कोई भी भूमिहीन व्यक्ति; अथवा
- (झ) उत्तरांचल का ग्रामीण शिल्पी; अथवा
- (ट) उत्तरांचल का कृषि से सम्बद्ध कार्य करने वाला भूमिहीन व्यक्ति।
- 4)(3) (क) धारा 154 के प्रतिबंधों के अधीन रहते हुये कोई व्यक्ति, सोसाइटी अथवा निगमित निकाय उत्तरांचल में सरकार की पूर्व अनुमति से कृषि और औद्योगिकी से भिन्न निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए जो विहित किये जायें, भूमि क्रय कर सकता है—
- (i) चिकित्सा अथवा स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रयोजनों के लिये, यदि वह उत्तरांचल की स्वास्थ्य तथा जनसंख्या नीति के अनुरूप हो;
- (ii) किसी होटल, ठहरने का स्थान, अतिथि गृह, भोजनालय, मद्यशाला, सखनिज झरना, मार्ग में सुविधायें अथवा सैरगाह के लिये यदि वह राज्य की पर्यटन नीति के अनुरूप हो;
- (iii) शिक्षा विभाग की संस्तुति पर शिक्षा सम्बन्धी प्रयोजनों के लिये;
- (iv) सांस्कृतिक प्रयोजनों के लिये;

(V) धारा 154 (4)(2) के उपखण्ड (ड) में उल्लिखित स्थलों से भिन्न स्थलों पर औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने एवं ऐसे अन्य प्रयोजनार्थ ।

(ख) कोई व्यक्ति, सोसाइटी अथवा कम्पनी कृषि अथवा औद्योगिक प्रयोजनों के लिए इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात कि ऐसी भूमि का उपयोग केवल कृषि अथवा औद्योगिकी हेतु और ऐसे उपयोगों के लिये किया जायेगा जो कृषि अथवा औद्योगिकी से सम्बन्धित तथा आनुषांगिक हो, जनपद के कलेक्टर की पूर्व अनुमति से भूमि क्रय कर सकेगा। यदि शपथ-पत्र में उल्लिखित भूमि उपयोग में परिवर्तन किया जाता है तो अन्तरण शून्य हो जायेगा और धारा 167 के परिणाम लागू होंगे।

परन्तु उपबन्ध यह है कि कोई व्यक्ति यदि वह खातेदार नहीं है किन्तु धारा 154(4)(1)(क), 154(4)(2)(ड), तथा 154(4)(2)(व) के अधीन भूमि बिना स्वीकृति के क्रय करता है अथवा धारा 154(4)(3) के अधीन प्रदत्त अनुज्ञा से भूमि क्रय करता है, तो धारा 129-ख के अधीन विशेष श्रेणी का भूमिधर बना रहेगा और ऐसा भूमिधर भविष्य में केवल राज्य सरकार या जिले के कलेक्टर, जैसी भी स्थिति हो, की अनुमति से ही भूमि क्रय करने के लिए अर्ह होगा।

अग्रेत्तर उपबन्ध यह है कि ऐसा भूमिधर बैंक तथा वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने के लिए अपनी भूमि बंधक या दृष्टिबंधित कर सकेगा तथा धारा 129 के अन्तर्गत भूमिधरी अधिकारों से प्राप्त होने वाले अन्य लाभों को भी ग्रहण कर सकेगा।

अग्रेत्तर उपबन्ध यह है कि यदि कोई व्यक्ति जो खातेदार नहीं है, जो बिना अनुमति के धारा 154(4)(2)(ड), 154(4)(2)(व) के अधीन भूमि क्रय करता है अथवा धारा 154(4)(3) के अधीन जिसमें भूमि क्रय करने की अनुज्ञा शासन अथवा जिलाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, द्वारा प्रदान की गयी है, दो वर्ष की अवधि के अन्दर जिसकी गणना भूमि के विक्रय विलेख के पंजीकरण की तिथि से की जायेगी अथवा उसके बाद ऐसी अवधि के अन्दर जिसको राज्य सरकार द्वारा ऐसे कारणों से जिन्हें लिखित रूप में अभिलिखित किया जायेगा, उक्त भूमि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये करेगा जिसके लिये अनुज्ञा प्रदान की गयी है। यदि वह ऐसा नहीं करता है अथवा उस भूमि का उपयोग जिसके लिये उसे स्वीकृत किया गया था, उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु करता है अथवा जिस प्रयोजनार्थ क्रय किया गया था उससे भिन्न प्रयोजन के लिये विक्रय, उपहार या अन्यथा भूमि का अन्तरण करता है तो ऐसा अन्तरण इस अधिनियम के प्रयोजन हेतु शून्य हो जायेगा और धारा 167 के परिणाम लागू होंगे।

(5) यदि-

(क) निबंधक अथवा उपनिबंधक के समक्ष जो भारतीय पंजीकरण अधिनियम, 1908 के अधीन नियुक्त किये गये हों, ऐसी भूमि के अन्तरण से सम्बन्धित कोई विलेख पंजीकरण हेतु प्रस्तुत किये जाने पर उसके संज्ञान में यह आता है अथवा उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि

इस अन्तरण से धारा 154(3) अथवा 154(4)(3) का उल्लंघन होता है; अथवा

- (ख) किसी राजस्व अधिकारी को प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किये जाने अथवा किसी स्रोत से कोई सूचना प्राप्त होने से अथवा उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि जिस भूमि का अन्तरण किया गया है उससे धारा 152-क, 154(3), 154(4)(2)(ख), 154(4)(2)(ब) अथवा (ड), 154(4)(3) के उपबन्धों का उल्लंघन हुआ है, तो वह उप निम्नलिखित, निम्नलिखित अथवा राजस्व अधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, उस जिले के कलेक्टर को सन्दिग्ध करेगा जिसमें वह भूमि अथवा उसका भाग स्थित है, तो वह उस रीति से जैसा विहित किया जाय, यह विनिश्चित करेगा कि क्या ऐसा अन्तरण इस अधिनियम के उपबन्ध का उल्लंघन है और ऐसा प्रत्येक अन्तरण जो कि शून्य है, के सम्बन्ध में धारा 167 के परिणाम लागू होंगे।
- (ग) (1) राज्य सरकार राजस्व अधिकारी की रिपोर्ट या किसी व्यक्ति के प्रार्थना-पत्र पर या स्वयं किसी कार्यवाही या वाद के अभिलेख, उसकी या उस पर पारित आदेश की वैधता अथवा औचित्य पर अपना सवाधान करने के प्रयोजनार्थ मांग सकती है और उसके सम्बन्ध में ऐसा आदेश पारित कर सकती है जैसा वह उचित समझे;
- (2) इस उपधारा के अधीन पारित कोई भी आदेश, जो किसी के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता हो, तब तक पारित नहीं किया जायेगा जब तक उस व्यक्ति को सुनवाई का अवसर न प्रदान कर दिया जाय।
5. (1) उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) अध्यादेश, 2003 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।
- (2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम में उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम में सन्नी उपबन्ध सारवान समय पर प्रवृत्त थे।"

आज्ञा से,

बी0 लाल,

सचिव।

No. 501/Vidhayeé And Sarisadiya Karya/2003

Dated Dehradun, January 15, 2004**NOTIFICATION****Miscellaneous**

In pursuance of the provision of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttaranchal (The Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950) (Adaption and Modification Order, 2001) (Amendment) Bill, 2003 (Uttaranchal Adhinyam Sankhya 29 of 2003).

As passed by the Uttaranchal Legislative Assembly and assented to by the Governor on January, 2004.

THE UTTARANCHAL (THE UTTAR PRADESH ZAMINDARI ABOLITION AND LAND REFORMS ACT, 1950) (ADAPTATION AND MODIFICATION ORDER, 2001) (AMENDMENT) ACT, 2003

(AS REPORTED BY SELECT COMMITTEE OF THE HOUSE AND PASSED AS AMENDED BY THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

(UTTARANCHAL ACT No. 29 OF 2003)

AN

ACT

To amend the Uttaranchal (The Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950) Adaptation and Modification Order, 2001 in its application to the State of Uttaranchal.

Be it enacted in the Fifty-fourth Year of the Republic of India as follows :

Short title,
Extent and
Commencement

1. (1) This may be called the Uttaranchal (The Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950) (Adaptation and Modification Order, 2001) (Amendment) Act, 2003.

(2) It extends to the whole of State of Uttaranchal except the areas included and may be included from time to time in any Municipal Corporation, Nagar Panchayat, Nagar Parishad and Cantonment Board limits.

(3) It shall come into force at once.

Addition of
section 129-B in
the principal Act

2. **A new section 129-B shall be added after section 129-A of the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950 as follows--**

129-B--There shall be, for the purposes of section 154(4)(1)(a), 154(4)(2)(e), 154(4)(2)(f) and 154(4)(3) of the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950 (hereinafter referred to as the principal Act) following class of Bhumidhar, i.e. to say-

(1) Bhumidhar of special category.

Addition of
section 152-A in
the principal Act

3. **A new section 152-A shall be added after section 152 of the principal Act as follows--**

(1) Section 152-A--A bhumidhar with transferable rights may execute power of attorney for transfer of land in favour of persons who are covered under section 171, 172, 174 or 175, and in case no such person is existing, such Power of Attorney may be executed in favour of any other person with the prior permission of the collector of the district or of the Indian consulate in case of persons living abroad.

(2) A registered Power of Attorney to sell the land executed on or before 12-09-2003 shall be valid if the sale deed on the basis of such Power of Attorney is executed on or before 31-03-2004, irrespective of any time limit provided in such Power of Attorney, unless extended by the collector of the district for reasons to be recorded in writing.

Addition of sub-
sections (3), (4)
and (5) in
section 154 of
the principal Act

4. **Three new sub-sections (3), (4) and (5) shall be added in section 154 of the principal Act as follows--**

(3) A bhumidhar with transferable rights may sell his land to any of the categories of tenure holders in the State of Uttaranchal as mentioned in section 129 or such owner of any immovable property in Uttaranchal who has acquired it on or before 12-09-2003 or to any member of the 'family', which means husband, his wife and their children, including step or adopted children, and includes parents, grand parents, brothers and unmarried, widowed, separated and divorced sisters of such tenure holder of the owner, as the case may be.

- (4) (1) (a) Subject to other restrictions and save as otherwise provided in this Act, any person on behalf of his family (which means husband, wife and minor children), even though he is not a tenure holder under section 129 of the owner of any immovable property in Uttaranchal, may purchase land not exceeding 500 sq. mts. in his lifetime without the permission;
- (b) A registered agreement to sell the land executed on or before 12-09-2003 shall be valid if the sale deed on the basis of such agreement is executed on or before 31-03-2004, irrespective of any time limit provided in the agreement, unless extended by the collector of the district for reasons to be recorded in writing.
- (4) (2) Nothing in sub-section 154 (3) shall be deemed to prohibit the transfer of land by any person in favour of--
- (a) the State Government or Central Government or a Government company, as defined in section 617 of the Companies Act, 1956 or a Statutory Body or Corporation or Board established by or under a Statute and owned and controlled by the State or Central Government;
- (b) a person who has become a non-tenure holder on account of--
- (i) acquisition of his land for any public purpose under the Land Acquisition Act, 1894; or
- (ii) vestment of his land in the tenants under this Act;
- (c) a non-tenure holder who purchases or intends to purchase land for the construction of a house or shop, or purchases a built-up house or shop from the State Housing Board or from a Development Authority or from any other Statutory Corporation set up under any State of Central enactment.
- (d) a person who proposes to purchase land from a person in whose favour a layout plan has been approved by the competent authority;
- (e) a person or company according to Industrial Policy of Uttaranchal in (i) Integrated Industrial Development Centre (ii) Industrial Area (iii) Industrial Estates.
- (f) a person, society or trust for religious purposes;
- (g) a landless labourer of the Uttaranchal; or
- (h) a landless person belonging to a Scheduled Caste or Scheduled Tribe of the Uttaranchal; or
- (i) a village artisan of the Uttaranchal; or
- (j) a landless person carrying on an allied pursuit of the Uttaranchal.
- (4) (3) (a) Subject to restrictions contained in section 154, a person, society of corporate body may purchase land for the following purposes, other than those for Agriculture and Horticulture purposes, with the prior sanction of the Government in the State of Uttaranchal as may be prescribed--
- (i) Medical or health purposes, if it conforms to the Health and Population Policy of Uttaranchal;
- (ii) Hotel, Lodge, Guest House, Restaurant, Bar, Spa, way side amenities or resort, if it conforms to the Tourism Policy of the State;
- (iii) Educational purposes, on the recommendations of the Deptt. of Education;
- (iv) Cultural purposes;
- (v) For industrial purposes in areas other than those mentioned in section 154(4)(2)(e) or for other purposes.
- (b) A person, society or company may purchase land with prior sanction of the Collector of the district for Agricultural or Horticultural purposes, as may be prescribed, on furnishing an affidavit to the effect that such land will be used for Agricultural or Horticultural purposes and for uses incidental to and connected with Agriculture or Horticulture only. If the land use of such land as mentioned in the Affidavit is changed, the said transfer shall be void and consequences of section 167 shall follow.

Provided that a person who is a non-tenure holder but purchases land either under section 154(4)(1)(a), 154(4)(2)(e) and 154(4)(2)(f) or under the sanction granted under section 154(4)(3) shall, irrespective of such purchase of land, continue to be a bhumidhar of special category as provided under section 129-B and such bhumidhar shall be eligible to purchase land in future only with the permission, of the State Government or collector of the district as the case may be.

Provided further that such bhumidhar may mortgage or hypothecate such land for obtaining loan from banks and financial institutions or deriving any other benefit accruing from his bhumidhari rights under section 129.

Provided further that a non-tenure holder who has purchased land under section 154(4)(2)(e), 154(4)(2)(f) and who has purchased land under section 154(4)(3) under the sanction of Govt. of Collector, as the case may be, shall put land to such use for which the sanction has been granted within a period of two years or further such period as may be allowed by the State Government for reasons to be recorded in writing, to be counted from the date of registration of sale deed and if he fails to do so or diverts the use of the land for which it was sanctioned or transfers the land by way of sale, gift or otherwise except for the purpose for which it was purchased, such transfer shall be void for the purpose of this Act, and consequences of section 167 shall follow--

(5) Where,

- (a) the Registrar or Sub-Registrar appointed under the Indian Registration Act, 1908 before whom any document pertaining to transfer of land is presented for registration comes to know or has reason to believe that the transfer of land is in contravention of section 154 (3) or 154 (4) (3); or
- (b) a Revenue Officer either on an application submitted to him or on receipt of any information from any source comes to know or has reason to believe that the land has been transferred in contravention of the provisions of section 152-A, 154(3), 154(4)(2)(e), 154(4)(2)(f) or 154(4)(3), such Sub-Registrar, Registrar or Revenue Officer, as the case may be, shall make a reference to the collector of the district, who shall determine whether the transfer is in contravention of the provision of this Act in the manner prescribed and the consequences of section 167 shall follow in respect of every transfer which is void.
- (c) (1) The State Government may, either on the report of a Revenue Officer or on an application by any person or of its own motion, call for the records of any proceedings or case for the purpose of satisfying itself as to the legality or propriety of such proceedings or order made therein and may pass such order in relation thereto as it may think fit.

(2) No order shall be passed under this sub-section which adversely affects any person unless such person has been given a reasonable opportunity of being heard.

5. (1) The Uttaranchal (The Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950) (Adaptation and Modification Order, 2001) (Amendment) Ordinance, 2003 is hereby repealed.
- (2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as mentioned by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if this Act were in force at all material times.

Repeal and Savings

By Order,

BHAROSILAL,
Secretary.